



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2013/फाल्गुन 14, 1934

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2013/PHALGUNA 14, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2013

**सा.का.नि. 158(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, और सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, और सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, और सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 की अनुसूचि में:-

(क) निजी सचिव पद से संबंधित कम संख्यांक 1 के स्तंभ 12 में, शीर्षक " प्रोन्नति" के अधीन " श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से यथाविहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो" ;

(ख) अनुभाग अधिकारी पद से संबंधित कम संख्यांक 2 के स्तंभ 12 में, शीर्षक " प्रोन्नति" के अधीन " श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से यथाविहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो" ;

(ग) सहायक पद से संबंधित कम संख्यांक 3 के स्तंभ 12 में, शीर्षक " प्रोन्नति" के अधीन " श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से यथाविहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो” ;

[फा. सं. आई. 12011/11/2009-आर्ग]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

टिप्पण— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 255(अ), तारीख 25 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2013

**G.S.R. 158(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer, and Assistant, Group ‘B’ Posts Recruitment Rules, 2011, namely :-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer, and Assistant, Group ‘B’ Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. (1)** In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer, and Assistant, Group ‘B’ Posts Recruitment Rules, 2011,—

(a) against serial number 1, relating to the post of Private Secretary, in column 12, under heading “**Promotion**” after the words “with five years’ regular service in the grade”, the following words shall be inserted, namely:-

“and have successfully completed pre-promotion course or courses from the Institute of Secretariat Training and Management as prescribed.” ;

(b) against serial number 2, relating to the post of Section Officer, in column 12, under heading "**Promotion**" after the words "with five years regular service in the grade", the following words shall be inserted, namely:-

"and have successfully completed pre-promotion course or courses from Institute of Secretariat Training and Management as prescribed" ;

(c) against serial number 3, relating to the post of Assistant, in column 12, under heading "**Promotion**" after the words "with ten years regular service in the grade" the following words shall be inserted, namely:-

"and have successfully completed pre-promotion course or courses from Institute of Secretariat Training and Management as prescribed."

[F. No. I. 12011/11/2009-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 255(E), dated the 25th March, 2011.

